दिनांक : .१०.२०१९

प्रति,

माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, १५२ बी, साऊथ ब्लॉक,
रायसीना हिल, नई देहली – ११००११.

विषय : धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण देनेवाला कानून बनाकर आस्था–केंद्रों का सम्मान करने के संदर्भ में ....

महोदय,

हिन्दू धर्म में निहित विविध धार्मिक प्रथाएं करोडों हिन्दुओं की आस्था के स्रोत हैं । ऐसा होते हुए भी त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा राज्य के मंदिरों में विगत सैकडों वर्षों से चली आ रही बलीप्रथा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय दिया है । उच्च न्यायालय को धार्मिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । साथ ही त्रिपुरा उच्च न्यायालय का यह निर्णय केवल हिन्दू मंदिरों तक ही सीमति है । इस निर्णय में 'बकरी ईद' के उपलक्ष्य में धार्मिक परंपरा के नाम पर दी जानेवाली लाखों पशुओं की बली के संदर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है । इससे संविधान द्वारा क्रियान्वय हेतु समानता के तत्त्व का भी उल्लंघन हो रहा है । न्यायतंत्र का इस प्रकार संविधान द्वारा हिन्दुओं को प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने के कारण हिन्दुओं के मन में असुरक्षा की भावना आ गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ।

*** इस संदर्भ में हम कुछ सूत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –**

१. त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण त्रिपुरा राज्य में स्थित श्री त्रिपुरासुंदरी एवं श्री चतुरदास देवता, इन मंदिरों में विगत सैकडों वर्षों से चली आ रही बलीप्रथा को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है । इनमें से श्री त्रिपुरासुंदरी मंदिर ५१ शक्तिपीठों में एक होने के कारण करोडों हिन्दुओं की आस्थाएं इस मंदिर की धार्मिक परंपराओं से जुडी हुई हैं ।

२. त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर की बलीप्रथा के विरुद्ध दिए गए निर्णय का आधार लेकर हिन्दूविरोधी अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की याचिकाएं प्रविष्ट कर देशभर के हिन्दू मंदिरों में चली आ रही प्रथाओं को तोड डालने की दृष्टि से क्रियाशील हुए हैं । ऐसा होने से हिन्दू समाज में धार्मिक असंतोष उत्पन्न होने का भय है ।

*** इस संदर्भ में हमारी निम्नांकित मांगें हैं –**

अन्य धर्मियों की बलीप्रथाओं को हाथ न लगाकर बिना किसी कानूनी आधार के केवल हिन्दुओं की धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की यह कार्यपद्धति अयोग्य है । इस प्रकार की असहिष्णुता को रोकने हेतु सदियों से आ रही हिन्दुओं की परंपराओं और प्रथाओं को संरक्षण देनेवाला कानून बनाया जाए ।

आपका विश्वासी,

(संपर्क :)